न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढींढसा के *समक्ष*,

दीपक—-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य—उत्तरदाता

2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 20553

फ़रवरी 6, 2013

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *226* और *22 7*- अनुकंपा नियुक्ति - एक अधिकार या रियायत - याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु तब हुई जब वह नाबालिग था - उसकी मां ने उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए नामित किया - *4* साल की देरी पर अनुरोध खारिज कर दिया गया - याचिकाकर्ता के पक्ष में मुकदमेबाजी समाप्त हो गई - याचिकाकर्ता को चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया यानी चतुर्थ श्रेणी का पद जिस पर उसने विधिवत ड्यूटी ज्वाइन की और काम कर रहा है - इसके बाद उसने नीति के अनुसार तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किए जाने का दावा उठाया - दावा खारिज कर दिया गया था - अनुकंपा के आधार पर दी गई नियुक्ति एक रियायत है न कि अधिकार - याचिकाकर्ता, ने स्वीकार किया है कि उसने चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त होने के लिए विचार के लिए आवेदन किया था - ऐसी नियुक्ति याचिकाकर्ता द्वारा बिना किसी आरक्षण के दी गई और स्वीकार की गई है - अनुकंपा नियुक्ति को शासित करने वाली योजना/नीति का उद्देश्य प्राप्त हुआ - बाद का दावा अंतहीन करुणा - इसकी अनुमति नहीं है।

यह माना गया कि सार्वजनिक नियुक्ति से संबंधित मामलों में, राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित समानता की संवैधानिक योजना को प्रभावी करने के लिए बाध्य है। अत सभी नियुक्तियां खुले रूप से आवेदन आमंत्रित करने और उन पर विचार करने के लिए योग्यता के क्रम में पूर्णत वैध चयन मानदण्डों के आलोक में की जानी चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति ऐसे प्रस्ताव का अपवाद है। अनुकंपा के आधार पर दी गई नियुक्ति एक रियायत है न कि अधिकार। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि अनुकंपा के आधार पर सीएल एएस -4 पद पर नियुक्त होने के लिए विचार के लिए आवेदन किया था। इसी तरह का अनुरोध उनकी मां ने पहले भी किया था। याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर चपरासी यानी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी गई है, उसने राज्य की ओर से दायर लिखित बयान के साथ संलग्न अनुलग्नक आर-5/टी के आलोक में बिना शर्त इसे स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता को ऐसी नियुक्ति दी गई और इसे स्वीकार कर लिया गया, अनुकंपा नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाली योजना/नीति का उद्देश्य प्राप्त हुआ। वर्तमान रिट याचिका में उठाया गया दावा अंतहीन करुणा मांगने की प्रकृति में होगा। इसकी अनुमति नहीं है।

(पैरा 9)

आगे *अभिनिर्णित* किया गया, कि वर्तमान मामले के तथ्य अन्यथा हैं। वर्तमान याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद, उसकी मां ने अपने बेटे के मामले पर विचार करने के लिए दावा प्रस्तुत किया था, अर्थात् दीपक चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए । इसके बाद, वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर और 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 1516 में इस न्यायालय के निर्णय के बाद, याचिकाकर्ता ने स्वयं भी अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने का अनुरोध प्रस्तुत किया था। ऐसी नियुक्ति उन्हें चपरासी के पद पर दिनांक 12-6-2009 के नियुक्ति पत्र के जारी होने के संदर्भ में दी गई है। याचिकाकर्ता ने बिना किसी आरक्षण के ऐसी नियुक्ति स्वीकार कर ली है। अब उनके लिए अनुकंपा के आधार पर तृत्य श्रेणी के पद पर नियुक्ति लेने के लिए खुला नहीं होगा।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता के लिए हेमेन अग्रवाल, अधिवक्ता

हरीश राठी, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा।

TEJINDER SINGH DH1NDSA, J.

(1) याचिकाकर्ता जिसे 12.6.2009 को अनुकंपा के आधार पर चपरासी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया था, ने 19.7.2010 के आदेश को लागू करते हुए तत्काल रिट याचिका की मृत्यु हो गई है, अनुलग्नक पी 6, जिसके तहत उसके दावे को तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया है, को खारिज कर दिया गया है।

(2) संक्षेप में, याचिकाकर्ता के पिता, जो हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के साथ उप निरीक्षक के पद पर काम कर रहे थे, की 26.3.1997 को मृत्यु हो गई। उस समय, याचिकाकर्ता नाबालिग था, उसकी जन्मतिथि 20.11.1982 थी और तदनुसार, उसकी मां ने 11.4.1997 को प्रतिवादी-विभाग को अपने बेटे यानी वर्तमान याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए नामित करने का अनुरोध प्रस्तुत किया। जैसे ही याचिकाकर्ता ने बालिग होने की उम्र प्राप्त की, उसकी मां ने इस तरह के अनुरोध को दोहराया। 5.10.2001 को, याचिकाकर्ता की मां द्वारा अपने बेटे यानी वर्तमान याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कर्मचारी की मृत्यु के चार साल बाद प्राप्त हुआ था। इस तरह की अस्वीकृति को याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में 2002 की सिविल रिट

याचिका संख्या 1516 दायर करने के संदर्भ में चुनौती दी थी। दिनांक 11-2-2005 के निर्णय के तहत ऐसी याचिका की अनुमति दी गई थी और दिनांक 8-5-1995 की अनुग्रह योजना अथवा किसी अन्य अद्यतन योजना, जो भी लागू हो, के तहत नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

(3) इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के कथित अनुपालन में, याचिकाकर्ता की आसानी पर विचार किया गया था और उसे 12.6.2009 को चपरासी के पद यानी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जिस पर वह विधिवत शामिल हुआ था और काम कर रहा है। जाहिर है, याचिकाकर्ता ने इसके बाद एक दावा किया कि 8.5-1995 की नीति, अनुलग्नक पी 7 के आलोक में, वह वास्तव में, अपने मृत पिता द्वारा आयोजित पद की तुलना में "एक कदम कम" पद पर नियुक्त होने का हकदार था और इस तरह, चूंकि उसके पिता अपनी मृत्यु की तारीख को प्रतिवादी-विभाग में उप निरीक्षक के पद पर थे, उसे तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाए। इस तरह के दावे को दिनांक 19.7.2010 के आक्षेपित आदेश, अनुबंध पी 6 के आलोक में खारिज कर दिया गया है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि 2002 की रिट याचिका संख्या 1516 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 11.2.2005 के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है। इस तरह के फैसले के तहत, दिनांक 8.5.1995 की नीति/निर्देशों के आलोक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश जारी किए गए थे। विद्वान वकील दिनांक 8.5.1995, अनुग्रहपूर्वक योजना के तहत मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार विषय पर अनुबंध पी 7 की नीति का उल्लेख करेंगे और खंड (i) का एक स्पष्ट संदर्भ देंगे, जो निम्नलिखित दसियों में पढ़ता है:

> *(i)* अनुग्रह रोजगार केवल श्रेणी-*III* और श्रेणी-*IV* के पदों तक ही सीमित होगा, चाहे मृत कर्मचारी की स्थिति कुछ भी हो। इसके अलावा, अनुकंपा रोजगार की पेशकश मृत कर्मचारी की तुलना में कम से कम एक कदम कम होगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां मृत कर्मचारी सरकार में सबसे निचले स्तर पर काम कर रहा था। "

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि दिनांक 8.5.1995 के नीतिगत निर्णय को दिनांक 31.8.1995 के ज्ञापन के जारी होने के संदर्भ में और स्पष्ट किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि "एक कदम कम" रोजगार की व्याख्या मृत कर्मचारी के "एक वेतनमान से नीचे" के रूप में की जाती है। इस प्रकार, विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि प्रतिवादी-विभाग ने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.2.2005 के निर्णय के तहत जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया है और याचिकाकर्ता के दावे को अनुकंपा के आधार पर तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त करने के दावे को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश दिनांक 8.5.1995 के नीतिगत निर्णय का उल्लंघन है। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने विपन कुमार बनाम हरियाणा राज्य *(1)*, [1]में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया है।

(6) प्रस्ताव जारी होने की सूचना पर, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रतिवादी संख्या I और 2 द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया था। । राज्य की ओर से लिया गया स्पष्ट रुख यह है कि इससे पहले, याचिकाकर्ता की मां ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर अपने बेटे के दावे पर विचार करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था और 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 1516 में इस न्यायालय के निर्णय के बाद भी। याचिकाकर्ता ने फिर से 4.6.2009 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे चपरासी यानी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना था। तदनुसार, लिखित बयान में यह कहा गया है कि चपरासी के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार किया गया है और उसे ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिसे उसने स्वीकार कर लिया था।

(7) राज्य के विद्वान वकील यह तर्क देंगे कि याचिकाकर्ता ने कभी भी तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त होने के लिए अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है, उसे ऐसा लाभ नहीं दिया जा सकता था।

(8) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर दलीलों को पढ़ने के बाद, वर्तमान रिट याचिका में विचार के लिए जो छोटा प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी अधिकारियों के लिए यह खुला था कि वे याचिकाकर्ता को उस पद से भी कम पद पर नियुक्ति प्रदान करते जिसके लिए याचिकाकर्ता पर 8.5.1995 की नीति/निर्देशों के आलोक में विचार किया जा सकता था?

(9) सार्वजनिक नियुक्ति से संबंधित मामलों में, राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित समानता की संवैधानिक योजना को प्रभावी करने के लिए बाध्य है। इसलिए, सभी नियुक्तियों को आवेदनों के खुले आमंत्रण और योग्यता के क्रम में एक वैध चयन मानदंड के आलोक में उन पर विचार करने के संदर्भ में प्रभावी होना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति ऐसे प्रस्ताव का अपवाद है। अनुकंपा के आधार पर दी गई नियुक्ति एक रियायत है न कि अधिकार। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त होने के लिए विचार के लिए आवेदन किया था। इसी तरह का अनुरोध उनकी मां ने पहले भी किया था। याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर चपरासी यानी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी गई है, उसने राज्य की ओर से दायर लिखित बयान के साथ संलग्न अनुलग्नक आर-5/टी के आलोक में बिना शर्त इसे स्वीकार

---

[1]1999 (4) एसएलआर 425

कर लिया। याचिकाकर्ता को ऐसी नियुक्ति दी गई और इसे स्वीकार कर लिया गया, अनुकंपा नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाली योजना/नीति का उद्देश्य प्राप्त हुआ। वर्तमान रिट याचिका में उठाया गया उनका दावा अंतहीन करुणा मांगने की प्रकृति में होगा। इसकी अनुमति नहीं है।

(10) राजस्थान राज्य बनाम श्री उमराव सिंह [2] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां कुछ समान परिस्थितियों में प्रासंगिक होंगी और निम्नलिखित शब्दों में पढ़ी जाएंगी:

> "माना जाता है कि प्रतिवादी पिता की मृत्यु *16.3.1988* को सब-इंस्पेक्टर, सी.एल.डी. *(*विशेष शाखा*)* के रूप में काम करने के दौरान हुई थी। प्रतिवादी ने रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार अनुकंपा के आधार पर उप-निरीक्षक या एल.डी.सी. के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए *8.4.1988* को एक आवेदन दायर किया। उनकी याचिका पर विचार करने पर, उन्हें दिनांक *14.12.1989* के आदेश द्वारा एलडीसी के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने एल.डी.सी. इसलिए, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार समाप्त हो गया था। अनुकंपा के आधार पर आगे कोई विचार कभी नहीं उठेगा। अन्यथा, यह अंतहीन करुणा का मामला होगा। पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने की पात्रता एक बात है*;* चयन की प्रक्रिया एक और बात है। केवल तथाकथित पात्रता के कारण, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को इस विचार के लिए राजी किया गया था कि नियमों के नियम *5* के परंतुक के तहत निर्देश जारी किए जाएं जो इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

चूंकि दोनों पक्ष नरेश कुमार पाली के मामले *(*सुप्रा*)* पर निर्भर थे, इसलिए अब हम उसी का उल्लेख करेंगे। हमने उक्त निर्णय के पैराग्राफ *15* में दिए गए उसी निर्णय में हमारे मन को इंगित किया गया है। जो निम्नानुसार है*:*

> "हालांकि प्रतिवादी ने दावा किया कि उसने एक शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने उसे शिक्षक के पद के लिए नहीं चुना था क्योंकि उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं थी। वास्तव में, प्रतिवादी ने क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति पर आपत्ति नहीं की और शिक्षक के पद के लिए विचार के लिए उनका दावा उनकी नियुक्ति के एक वर्ष बाद था। इस प्रकार, योजना के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पूरी कर ली गई थी। "
>
> इसलिए, एक बार जब अधिकार समाप्त हो जाता है जैसा कि हमने पहले संकेत दिया था, तो करुणा के आधार पर उच्च पद के लिए कोई और या दूसरा विचार नहीं होगा।
>
> यह सच है कि उद्धृत निर्णय में, उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश नियुक्ति करने के लिए एक सकारात्मक निर्देश था, लेकिन यहां निर्देश मामले पर विचार करने का था। फिर भी, हम पाते हैं कि उप-निरीक्षक के पद के लिए प्रतिवादी की उम्मीदवारी पर आगे विचार करने का निर्देश देने में उच्च न्यायालय कानूनी रूप से न्यायसंगत नहीं था। सिविल अपील की अनुमति दी जाएगी और प्रतिवादी की रिट याचिका के नीचे अदालतों के आदेशों को उलट दिया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा। "

(11) विपन कुमार के सुप्रा मामले में याचिकाकर्ता ने जिन तथ्यों पर भरोसा किया है, वे स्पष्ट रूप से अलग हैं। इसी तरह याचिकाकर्ता के पिता यानी विपन कुमार की जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करते हुए मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता की मां ने दिनांक 8.5.1995 के सरकारी अनुदेशों/नीति के आलोक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता विपन कुमार ने पहले इस न्यायालय में 1995 की सिविल रिट याचिका संख्या 15181 दायर की थी, जिसमें उन्हें आबकारी और कराधान विभाग में कराधान निरीक्षक के रूप में या सिंचाई विभाग में उनकी योग्यता के अनुरूप किसी अन्य तृतीय श्रेणी के पद पर विचार करने और नियुक्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। इस न्यायालय द्वारा 22.1.1997 को इस तरह की याचिका का निपटारा कर दिया गया था ताकि राज्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जा सके। इसके अनुसार विपन कुमार को क्लर्क के पद की पेशकश की गई थी। याचिकाकर्ता ने इसे स्वीकार नहीं किया और फिर से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और वेतनमान से एक वेतनमान से कम वेतन वाले पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने के निर्देश देने की मांग की, जिसमें उसके पिता अपनी मृत्यु के समय वेतन ले रहे थे। यह ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि विपन कुमार के दावे को सरकार की दिनांक 8.5.1995 की नीति के आलोक में अनुमति दी गई थी। वर्तमान मामले के तथ्य अन्यथा हैं। वर्तमान याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद, उसकी मां ने अपने बेटे की आसानी पर विचार करने के लिए एक दावा प्रस्तुत किया था, जिसका नाम दीपक चतुर्थ श्रेणी के पद पर था। इसके बाद, वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर और 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 1516 में इस न्यायालय के निर्णय के बाद, याचिकाकर्ता ने स्वयं भी अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने का अनुरोध प्रस्तुत किया था। ऐसी नियुक्ति उन्हें चपरासी के पद पर दिनांक 12-6-2009 के नियुक्ति पत्र के जारी होने के संदर्भ में दी गई है। याचिकाकर्ता ने बिना किसी आरक्षण के ऐसी नियुक्ति स्वीकार कर ली है। अब उनके लिए अनुकंपा के आधार पर तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की अनुमति नहीं होगी।

(12) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मुझे रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

---

2 1995(1) एससीटी 46

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा